

अनुमति की शर्तें ।

- (1) लघु भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, कतिपयत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी अतिपुति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (4) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिडकी केवल आवासीय प्रयोजन
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 69 दिनांक 31/08/2020

प्लॉट नंबर सिटि डी 310 एी उत्तर सिटि एवर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7374/- जमा

जारीये रसीद संख्या 9662/3425, 3426

दिनांक 31/08/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 23/88/चौणमनी
 इन्फ्रिमा बोर्ड

3/9/2020

सहायक नगर निरीक्षक
 नगर निगम, जोधपुर

सिवा

जी + 1
 आवासीय